राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :— 470 / 2023

जगदीश प्रसाद मीणा (कर्मचारी आई.डी.— आरजेएसएम200332000485)

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 18.01.2023
आदेश की दिनांक : 01.02.2023

उपस्थित —
अपीलार्थी की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पान्डेय, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश दिनांक 07.08.2022 (अनुलग्नक—2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण रा.उ.मा.वि. Dudhaliya झालावाड़ से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, करौली किया गया था। इसके पश्चात् वर्तमान में आलौच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, करौली से रा.उ.मा.वि. नोनेरा कामां, भरतपुर में किया गया है। इस प्रकार बिना कारण के 5 माह में दुर्भावनापूर्वक अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है। स्थानांतरण से अपीलार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उपरोक्त आधारों पर आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। ऐसा कोई आधार हमारे सामने प्रकट नहीं है कि दुर्भावनापूर्वक अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया हो।
4. प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :—

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons

unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)